<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.-265/2005</u> <u>संस्थित दिनांक- 28.07.2005</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला–अशोकनगर म०प्र0

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. ओमकार सिंह पुत्र भैयालाल राजपूत उम्र 43 साल
- किशोर पुत्र भैयालाल राजपूत उम्र 36 साल सभी निवासीगण कटियापुरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: <u>निर्णय</u> :-

(आज दिनांक 23.02.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा—294, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक—25.04.2005 को ग्राम कटियापुरा में लोकस्थान पर बेनाबाई को मां—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व फरियादी बेनाबाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में किसी धारदार अस्त्र से फरियादियां बैनाबाई को स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—25.04.2005 करीबन रात्रि 11:00 बजे बेनाबाई अपने भाई दरयाब सिंह के साथ रामलीला देखने गई थी जहां वह जब पेशाब करने के लिये बाउन्डी से बाहर आई तो वहां आरोपी ओमकार ने पुरानी रंजिश पर से उससे कहा कि हमारी रिपोर्ट करती है और आरोपीगण गालियां देने लगा। बेनाबाई ने जब गालियां देने से मना किया तो आरोपी ओमकार ने लाठी मारी जो बेनाबाई के सिर में लगी और सिर से खून निकल आया व आरोपी किशोर सिंह ने लातघूंसों मारपीट की जिससे उसके कमर तथा पीठ में मून्दी चोट आई फरियादी बैनीबाई ने घटना दिनांक को ही रात्रि में 11:45 बजे पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक कमांक—281/05 अंतर्गत धारा—323, 504 भा0द0वि0 के तहत लेखबद्ध की गई फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण

(2)

कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी बैनीबाई को धारदार वस्तु से उपहति पाये जाने पर दिनांक-09.05.2005 पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरूद्ध अपराध क्रमांक—125 / 05 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा-324, 323, 504 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध की आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक—25.04.2005 को ग्राम कटियापुरा में फरियादियां बैनाबाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसशण में धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व लोक स्थान पर बेनाबाई को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3	दोष सिद्धि व दोष मुक्ति ?

—::<u>सकाराण निष्कर्ष::—</u>

- 06— फरियादी बैनाबाई अ0सा0—3 का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना को दस साल से अधिक समय हो चुका है। वह और सरस्तवी बाई अ०सा0-1 रामलीला देखने गये थे। रात्रि करीबन 10:00-11:00 बजे वह बाथरूम करने के लिये गई थी और वहा खडी थी तो अभियुक्तगण वहां आ गये। जिनमें अभियुक्त ओमकार सिंह जो हाथ में लाठी लिये था ने उसके सिर में लाठी मार दी जिससे उसे सिर में 24 टांके आये थे तथा अभियुक्त किशोर सिंह ने लात घूसों में मारपीट की थी जिससे उसके कमर में चोट आई थी। फरियादियां के अनुसार मौके पर सरस्वती बाई अ०सा०-1 व दरयाब सिंह अ०सा०-4 ने बीच बचाव कराया था जिसके बाद आरोपीगण वहा से भाग गये थे।
- 07— बैनाबाई अ0सा0—3 के द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये कथन उसके सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में अखिण्डत रहे हैं। बैनाबाई अंग्सा0-3 के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पृष्टि उसके

द्वारा घटना दिनांक को ही रात्रि में चंदेरी थाने में लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—2 से होती है। बैनाबाई अ0सा0—3 के कथनों में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभाष नही है, जिससे आधार पर इस साक्षी के द्वारा बताई गई घटना की सत्यता पर संदेह किया जा सके। सरस्वती बाई अ0सा0—1 ने भी अपने न्यायालीन कथनों में फरियादिया के कथनों की पुष्टि करते हुये यह कथन दिये हैं कि घटना दिनांक को वह रामलीला देखने गई थी जिसकों दस साल हो चुके हैं तथा रात्रि में 9—10 बजे आरोपीगण की बैनाबाई से लडाई हो गई थी और उस लडाई में अभियुक्त ओमकार ने बैनाबाई के सिर में लाठी मारी थी तथा इस घटना में उसने बीच बचाव किया था।

- 08— सरस्वती बाई अ0सा0—1 ने अपने मुख्य परीक्षण में इस बात की भी पुष्टि की है कि मौके पर दरयाब सिंह अ0सा0—4 व शंकर सिंह अ0सा0—6 उपस्थित थे, जिन्होने भी बीच बचाव किया था। सरस्वती बाई अ0सा0—1 के न्यायालीन कथनो में भी बचाव पक्ष कोई भी तात्विक विरोधाभाष उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ। इस साक्षी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में घटना के संबंध में अखण्डित साक्ष्य देते हुये यह स्पष्ट किया है कि घटना गर्मी के मौसम की होकर वैशाख के महीने की थी तथा घटना रात्रि में दस बजे के आसपास की थी और घटना के समय वह भी रामलीला देखने गई थी और बाथरूम करने के लिये बाहर आई थी, जहां उसने बैनीबाई के साथ अभियुक्तगण को मारपीट करते हुये देखा था।
- 09— सरस्वती बाई अ०सा0—1 हालांकि अभियुक्तगण के साथ एक अन्य व्यक्ति रामसिंह के द्व ारा घटना कारित किये जाने के संबंध में अपने प्रतिपरीक्षण में कथन दिये है, जिसके संबंध में फरियादिया बैनाबाई अ०सा0—3 व दरयाब सिंह अ०सा0—4 ने अपने न्यायालीन कथनों में न तो कोई कथन दिये है और न ही रामसिंह नामक व्यक्ति के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अतः सरस्वती बाई अ०सा0—1 के कथनों में किसी रामसिंह नामक व्यक्ति के द्वारा फरियादी से मारपीट करने के संबंध में दिये गये कथन की पुष्टि किसी भी साक्षी के कथनों से नहीं होती। इसी प्रकार बैनाबाई अ०सा0—3 ने भी ओमकार सिंह की लाठी से सिर में चौबीस टांके आना बताये है जिसका उल्लेख कहीं भी चिकित्सीय साक्षी डाक्टर सिद्धार्थ ने अपने न्यायालीन कथनों व चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी0—1 में नहीं किया है। अतः सरस्वती बाई अ०सा0—1 व बैनाबाई अ०सा0—3 के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन बढाचढा कर दिये गये प्रतीत होते हैं परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि सरस्वती बाई अ०सा0—1 व बैनाबाई अ०सा0—3 ग्रामीण मजदूर महिलाओं के कथनों में कि गई उपरोक्त अतिश्योक्ति कथन तात्विक स्वरूप के नहीं है जिसके आधार पर इन साक्षियों की संपूर्ण साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।
- 10— दरयाब अ0सा0—4 ने भी अपने न्यायालीन कथनों में फरियादिया बैनाबाई अ0सा0—3 के द्व ारा न्यायालीन कथनों में बताई घटना की पुष्टि करते हुये यह स्पष्ट किया है कि वह ६ ाटना 10—11 साल पहले की है वह घटना दिनांक को रामलीला देखने गया था। उसकी बहन बैनाबाई अ0सा0—3 पेशाब करने गई थी तो वहां से चिल्लाने की आवाज आई तो

उसे सुनकर वह घटना स्थल पर पहुंचा था जहां उसने देखा की, अभियुक्तगण उसकी बहन को मार रहे थे तथा उसके पहुचने पर अभियुक्तगण वहां से भाग गये। इस साक्षी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अभियुक्त ओमकार लट्ट लिये हुआ था, जिससे उसने उसकी बहन बैनाबाई अ०सा0—3 के सिर में चोट पहुंचाई थी।

- 11— दरयाब सिंह अ0सा0—4 ने हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में किशोर सिंह के संबंध में इस संबंध में स्पष्ट कथन नही दिये तथा किशोर सिंह ने फरियादिया के साथ मारपीट की थी इस संबंध में मुख्य परीक्षण में कथन देने के उपरांत पक्षविरोधी होने पर इस बात का समर्थन नही किया कि किशोर सिंह को उसने बैनीबाई अ0सा0—3 को लातघूंसों से मारपीट करते हुये देखा था, परंतु मात्र उक्त कारण से इस साक्षी की शेष साक्ष्य नकारी नही जा सकती है। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से घटना के समय स्वयं व सरस्वती बाई अ0सा0—1 की उपस्थित रहने के संबंध में कथन दिये है तथा इस साक्षी के कथन इस संबंध में अखण्डित हैं कि बैनाबाई अ0सा0—3 भी रामलीला देखने गई थी और जब वह पेशाब करने गई थी तो अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की थी जिसमें से अभियुक्त ओमकार सिंह ने लाठी से फरियादियां बैनाबाई अ0सा0—3 के सिर में उपहित कारित की।
- 12— शंकर सिंह अ0सा0—6 जो कि नक्शा मौका का साक्षी है ने अपने न्यायालीन कथनों में हालांकि घटना के समय मौके पर उपस्थित होने के संबंध में कथन देता है तथा फरियादी बैनाबाई के साथ अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किये जाना एवं ओमकार के द्वारा फरियादियां के सिर में लाठी मारने के संबंध में कथन देता है पंरतु यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि अभियुक्तगण ने उसके सामने उसकी मां की मारपीट नहीं की तथा उसकी मां ने अभियुक्तगण के द्वारा की गई मारपीट के बारे में उसे बताया था। अतः इस साक्षी की साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य होने से इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।
- 13— शंकर सिंह अ0सा0—6 की साक्ष्य कें। अनुश्रुत होने के कारण यदि नजरअंदाज भी किया जावे तब भी फरियादिया सिहत घटना के अन्य साक्षी दरयाब सिह अ0सा0—4 व सरस्वती अ0सा0—1 के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों में इस संबंध में लेषमात्र भी विरोधाभास नही है कि घटना को दस ग्यारह साल हो चुके है तथा घटना के समय फरियादिया बैनाबाई अ0सा0—1 रामलीला देखने गई थी और जब वह रामलीला देखने के दौरान पेशाब करने के लिये रामलीला स्थल से बाहर निकलकर आई तो अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की थी जिसमें से ओमकार सिंह ने फरियादियां के सिर में लाठी से उपहित कारित की। फरियादियां बैनाबाई अ0सा0—1 के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि उसके द्वारा की गई, प्र0पी0—2 की रिपोर्ट से होती है तथा फरियादियां के कथनों का समर्थन घटना के साक्षी दरयाब सिह अ0सा0—4 व सरस्वती अ0सा0—1 ने भी अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट तौर पर किया है। जिनमें कोई विरोधाभाष की स्थिति नहीं है।
- 14—चिकित्सीय साक्षी डाक्टर एस० पी० सिद्धार्थ जिनके द्वारा घटना के दूसरे दिन दिनांक—26. 04.05 को बैनाबाई अ0सा0—3 का मेडिकल परीक्षण किया गया है ने भी अपने न्यायालीन

कथनों में इस बात की तस्दीक है कि चिकित्सीय परीक्षण में बैनाबाई के सिर के बायी तरफ ऑक्सीपिटल भाग पर एक कटा हुआ घाव जिसका आकार 3.5 x 1 सेंटीमीटर x हडडी की गहराई तक पाया गया तथा कूल्हे में बायी ओर एवं दाहिनी ओर नीलगू निशान पाये थे तथा चिकित्सीय साक्षी डाक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ के अनुसार उक्त चोट चौबीस घण्टे के अंदर की थी। अतः चिकित्सीय साक्ष्य से भी इस बात की पुष्टि होती है कि घटना के दूसरे दिन जब चिकित्सक द्वारा फरियादियां का परीक्षण किया गया तो उसके सिर में व कूल्हों में चोट के निशान थे।

- 15— चिकित्सीय परीक्षण में बैनाबाई अ०सा0—3 को शरीर के जिस स्थान पर चोटें होने की तस्दीक की गई उससे यह स्पष्ट है कि उक्त चोटें किसी व्यक्ति द्वारा स्वकारित किया जाना सम्भव नही है। बैनाबाई अ०सा0–3 के द्वारा घटना की तूरंत पश्चात बिना किसी बिलंब के रात में घायल होते हुये भी 11:45 बजे थाने पर पहुंच कर रिपार्ट लेखबद्ध कराई गई। जिससे निश्चित रूप से उसके द्वारा प्र0पी0-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेखबद्ध कराई गई घटना की विश्वसनीयता अधिक बढ जाती है। उस पर बैनाबाई अ०सा०–3 के अखण्डित साक्ष्य एव अन्य साक्षी दरयाब सिंह अ०सा०–4 व सरस्वती बाई अ०सा०–1 के द्वारा न्यायालीन कथनों में बैनाबाई अ०सा०–3 के द्वारा कथित घटना की पृष्टि करने के बाद इस संबंध में कोई संशय की स्थिति नही रह जाती की घटना दिनांक को रात्रि में अभियुक्तगण ने बैनाबाई के साथ मारपीट कर उपहति कारित की थी। अभियुक्तगण की मौके पर एक साथ उपस्थिति व उनके द्वारा एक साथ ही फरियादिया के साथ मारपीट करने की अखण्डित साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है जो उनके द्वारा फरियादियां को उपहति कारित करने के संबंध में निर्मित किया गया, सामान्य भी साबित करती है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह तो प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को फरियादिया के साथ मारपीट कर उपहति कारित की थी। जिसमें अभियुक्त ओमकार ने लाठी से बैनाबाई के सिर में प्रहार कर उपहति कारित की।
- 16— बैनाबाई अ0सा0—3 को सिर में ओमकार सिह द्वारा लाठी से प्रहार कर उपहित कारित की गई, इस संबंध में बैनाबाई सिहत अन्य साक्षियों ने भी अखिण्डित साक्ष्य न्यायालय में दी है परंतु बैनाबाई अ0सा0—3 के सिर में जिस प्रकार की उपहित कारित हुई है वह चिकित्सीय साक्षी डाक्टर एस पी सिद्धार्थ के अनुसार धारदार वस्तु से कारित होना संभव थी जिसका उल्लेख प्र0पी0—1 की चिकित्सीय रिपोर्ट में भी डाक्टर एस पी सिद्धार्थ ने किया है। डाक्टर एस पी सिद्धार्थ के अनुसार उक्त चोट लाठी से आना संभव नहीं है। अतः स्पष्ट तौर पर बैनाबाई अ0सा0—3 के सिर में कारित हुई उपहित के संबंध में उपहित कारित करने की वस्तु के संबंध में फिरयादियां सिहत अन्य साक्षियों की साक्ष्य से चिकित्सीय साक्षी डाक्टर एस० पी० सिद्धार्थ के द्वारा दिया गया अभिमत विरोधाभासी है क्योंकि ओमकार सिंह द्वारा लाठी से सिर में उपहित करने के संबंध में फिरयादी सिहत घटना के साक्षियों ने कथन दिये हैं जबिक डाक्टर एस० पी० सिद्धार्थ के अनुसार बैनाबाई अ0सा0—3 के सिर में पाई गई चोट लाठी से आना संभव ही नही थी।

- 17— विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि जब भी चिकित्सीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य में विरोधाभाष की स्थिति होती है तो मौखिक साक्ष्य को प्रथामिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए क्योंकि चिकित्सीय साक्षी के द्वारा चोट की प्रकृति के। देखते हुये उक्त चोट कारित करने वाली वस्तु के संबंध में दी गई साक्ष्य अभिमत मात्र होता है, जो निश्चायक प्रमाण नही होता है। अतः ऐसे में बैनाबाई अ०सा०-3 के सिर में ओमकार सिह द्वारा कारित की गई उपहति किसी धारदार वस्तु से कारित किया जाना चिकित्सीय एवं मौखिक दोनों ही साक्ष्यों से प्रमाणित नही होती है।
- 18— अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में बैनाबाई को कारित की गई उपहति का कृत्य भा0द0वि0 की धारा-324 की परिधि में तभी आ सकता है जब यह साबित हो जाये की अभियुक्तगण द्वारा जिस उपकरण या साधान से उपहति कारित की गई वह भा०द०वि० की धारा-324 में वर्णित उपकरण की श्रेणी में आता हो। लाठी, भा०द०वि० की धारा-324 के अंतर्गत असन, बेदन या काटने के किसी उपकरण की श्रेणी में नही आता है। ऐसा उपकरण जो कि आक्रमक आयुध के तौर पर उपयोग मे लाया जाए तो उससे मृत्य कारित होना संभाव्य हो, वह उपकरण भा०द०वि० की धारा–324 की परिधि में आते हैं। लाठी उक्त श्रेणी में आयेगी अथवा नहीं यह लाठी के माप उसका भार एव उसकी बनावट पर निर्भर करता है।
- 19— वर्तमान प्रकरण में बैनाबाई अ०सा०—3 सहित साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में भले ही इस संबंध में अखिण्डत साक्ष्य दी है कि बैनाबाई को सिर पर ओमकार सिह ने लाठी से मारकर उपहति कारित की परंतु उक्त लाठी अनुसंधानकर्ता अधिकारी बैजनाथ सिह अ0सा0-7 के द्वारा प्रकरण की विवेचना में न तो जप्त की गई और न ही घटना में प्रयुक्त लाठी जप्त न करने का कोई कारण भी अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट किया। अतः ऐसे में भले बैनााबाई अ0सा0—3 सहित साक्षियों के द्वारा इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी गई है, कि ओमकार सिंह ने घटना मे बैनाबाई अ०सा0-3 के सिर पर लाठी मार कर उपहति कारित की थी परंतु उक्त लाठी के प्रकरण में जप्त न होने से एवं उक्त लाठी को बिना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुये यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नही है कि घटना में प्रयुक्त लाठी यदि आक्रमक आयुध के तौर पर उपयोग मे लाई जाये तो उससे मृत्यु कारित होना संभव थी।
- 20— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को बैनाबाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया बैनाबाई अ०सा० 3 को स्वेच्छया उपहति कारित की थी, परंतु अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता कि बैनाबाई अ0सा0 3 को अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई उपहति किसी असन, बेदन या काटने के उपकरण से अथवा ऐसे उपकरण से जो कि यदि आक्रमक हथियार के रूप में उपयोग में लाया गया, तो उससे मृत्यू कारित होना सम्भाव्य हो. से कारित की गई।

विचारणीय प्रश्न कमांक 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष

- 21- फरियादियां बैनाबाई अ०सा0-3 सहित दरयाब सिंह अ०सा0-4 व सरस्वती अ०सा0-1 के कथनो से यह प्रमाणित है कि दिनांक 25.04.05 को रात्रि 11 बजे रामलीला देखने के दौरान अभियुक्तगण ने फरियादी बैनाबाई के साथ मारपीट कर उसके साथ उपहति कारित की थी। जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि जिस स्थान पर घटना घटित हुई वह लोक स्थान था। अभियुक्तगण ने फरियादियां बैनाबाई अ०सा०-3 को घटना दिनांक को कुछ भी अपशब्द या गालियां दी के संबंध में बैनाबाई अ०सा0-3 ने अभियोजन के समर्थन में भी कोई कथन नही दिया तथा प्रतिपरीक्षण में फरियादिया बेनाबाई अ०सा०–3 का यह स्पष्ट कहना है कि अभियुक्तगण उससे कुछ नहीं कहा। इसी प्रकार दरयाब सिह अ०सा०-4 ने भी इस संबंध में अभियोजन का समर्थन नही किया कि अभियुक्तगण ने फरियादिया बैनाबाई अ०सा०-3 को घटना के समय अश्लील गालियां दी थी। हालांकि संरस्वती बाई अ०सा०-1 ने यह कथन दिये है कि अभियुक्त ओमकार सिह बैनाबाई को मां बहन की गन्दी गन्दी गालिया दे रहा था परंतु अभियुक्त ओमकार ने कौन से गन्दे शब्द उच्चारित किये तथा उन शब्दों से वास्तव में किस को क्षोभ कारित हुआ इस संबंध में सरस्वती बाई अ0सा0—1 की साक्ष्य स्पष्ट नही है। स्वयं फरियादिया बैनाबाई अ०सा०-3 के द्वारा इस संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कथन न देने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक का अभियुक्तगण ने फरियादियां बैनाबाई अ०सा0-3 को मां बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।
- 22— परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल हुआ कि अभियुक्तगण ने दिनांक—25.04. 2005 को ग्राम कटियापुरा में फरियादिया बैनाबाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में बैनाबाई को उपहित कारित की थी। परन्तु अभियोजन यह साबित करने में सफल नही हुआ कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी बैनाबाई को कारित की गई उपहित किसी असन, बेदन या काटने के उपकरण से अथवा ऐसे उपकरण से जो कि यदि आक्रमक हथियार के रूप में उपयोग में लाया गया, से कारित की गई, साथ ही अभियोजन यह भी साबित नही कर सका की अभियुक्तगण ने घटना दिनांक व समय को फरियादियां बैनाबाई को लोकस्थान पर मां बहन की अश्लील गालिया देकर उसे व किसी अन्य को क्षोभ कारित किया, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 324/34 की अपेक्षा धारा—323/34 के आरोप प्रमाणित होते हैं। वही भा0द0वि0 की धारा—294 के आरोप अभियुक्तगण पर प्रमाणित नहीं होते हैं।
- 23— फलतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण ओमकार पुत्र भैयालाल एवं किशोरी पुत्र भैयालाल को भा०द०वि० की धारा—323/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है तथा भा०द०वि० की धारा—294 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(8) <u>दांडिक प्रकरण क.-265/2005</u>

24— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 25—. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण विगत लगभग 12 वर्षों से प्रकरण में उपस्थित हो रहे हैं। अभियुक्तगण ने प्रकरण के विचारण में सहयोग किया है उनके द्वारा फरियादियां बैनाबाई को कारित की गई उपहित भी साधारण प्रकृति की है अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के उपरांत सम्पूर्ण परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त ओमकार पुत्र भैयालाल एवं किशोरी पुत्र भैयालाल को भाठदंठवि० की धारा 323/34 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000—1000/— रूपये (एक—एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 26— अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द०प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)